न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—24 / 2024 दायर दिनांक:—30.01.2024

जीसीएमएस नं. 2024 / 23

हरदयाल पुत्र विश्राम जाति गुर्जर निवासी शंकर का पुरा नांगल दुर्गसी तहसील सूरौठ जिला—करौली राज0

—————प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित— 1 .श्री पी एल गोयल अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी

निर्णय

दिनांक—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 356 रकबा 0.21 है0, 547 रकबा 0.15 है0, 548 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 है0 स्थित ग्राम दुर्गसी, तहसील सूरौठ जिला करौली है। सायल उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है।

आराजी खसरा न0 352 रकबा 0.15 है0, 353 रकबा 0.13 है0, 355 रकबा 0.11 है0, 358 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम दुर्गसी तहसील सूरौठ जिला करौली है। उक्त आराजीयात सायल एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है।

उपरोक्त आराजीयात की नक्शा ट्रैस ऑनलाइन की गई थी, जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रैस ऑनलाइन करते समय खसरा न0 356 के स्थान पर खसरा न0 353 दर्ज कर दिया है एवं खसरा न0 353 के स्थान पर खसरा न0 356 दर्ज कर दिया। राजस्व कर्मचारियों ने उक्त खसरा न0 का ऑनलाइन नक्शा ट्रैस मूल राजस्व शीट के अनुसार तैयार न कर फर्जी तरीके से अवैधानिक रूप से बिना किसी राजस्व अधिकारी के आदेश के गैरकानूनी गलत दर्ज कर दिया, जिसका कि उन्हे कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

सायल /प्रार्थी के द्वारा माह अक्टुमब्र 2023 में आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 1 व 2 प्रार्थना पत्र के खसरा न0 की ऑनलाइन नक्शा शीट ई मित्र के माध्यम से निकलवाई तो सायल को उक्त खसरा न0 353 के स्थान पर खसरा न0 353 दर्ज होने की जानकारी हुई, जिसे देखकर सायल हक्का बक्का रह गया और सायल

पटवारी हल्का जटवाडा के पास गया तो उसने अपनी मूल नक्शा सीट से ऑनलाइन नक्शा सीट का मिलान किया तो उसने मूल नक्शा सीट से ऑन लाइन नक्शा सीट में भिन्नता पाई एवं ऑन लाइन नक्शा सीट गलत बताई।

इसके पश्चात सायल तहसीलदार सूरौठ के पास गया एवं उपरोक्त ऑन लाइन खसरा न0 की नक्शा सीट गलत होने के बारे मे बताया तो तहसीदार ने उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के यहा जाने के लिये कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.10.2023 को कार्यालय हाजा में उक्त ऑन लाइन नक्शा सीट शुद्ध किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरौठ को जांच करने भेजा गया जिस पर तहसीलदार सूरौठ द्वारा पटवारी हल्का जटवाडा से उक्त प्रकरण की जांच करवाई गयी तो पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त खसरा न0 की ऑन लाइन नक्शा सीट में अशुद्धि पाते हुए अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन नक्शा सीट में आराजी खसरा न0 356 के स्थान पर खसरा न0 353 तथा खसरा न0 353 के स्थान पर खसरा न0 356 दर्ज किया जाना स्पष्ट रूप से अंकित किया है। इस प्रकार दोनों खसरा न0 की ऑनलाइन नक्शा सीट में हुई अशुद्धि को शुद्ध किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऑन लाइन नक्शा शीट में विधि विरूद्ध रूप से की गई गलती को मुताबिक कानून सायल दुरूस्त कराने का कानूनी अधिकारी है। क्योंकि उकत गलती लिपकीय भूल/त्रुटि के कारण मूल नक्शा शीट के अनुरूप ऑन लाइन नक्शा शीट कायम नहीं किये जाने की है। जिसे दुरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

सायल ने उपरोक्त ऑन लाइन नक्शा शीट की दुरस्ती हेतु गैरसायल से दिनांक 15.12.2023 को कहा तो गैरसायल ने न्यायालय हाजा में दुरस्ती कराने की हिदायत दी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम दुर्गसी तहसील सूरौठ की ऑन लाइन नक्शा सीट में आरजीयात खसरा न0 356 के स्थान पर 353 व खसरा न0 353 के स्थान पर 356 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर उपरोक्त खसरा न0 की ऑन लाइन नक्शा सीट में संशोधन के का आशय की तहरील तहसीलदार सूरौठ को जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ द्वारा जबाब न्यायालय हाजा में पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो इसमें लिखा है कि प्रार्थी हरदयाल पुत्र विसराम जाति गुर्जर निवासी नांगल दुर्गसी के प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का जटवाडा से जांच करायी गयी। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट प्रार्थना पत्र मे दर्ज खसरा न0 ऑनलाइन नक्शे में बदल गये है जबकि पटवारी के पास कपडे की नक्शा शीट में प्रार्थी के खसरा न0 सही दर्ज है। राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 3685 दिनांक 06.10.2021 मुताबिक नक्शों मे खसरा न0/तरमीम जैसी अशुद्धियों को शुद्धि किये जाने का राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान है अतः उक्त प्रकरण को धारा 136 के तहत निस्तारण किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खसरा न0 356, 547, 548 जमाबंदी संवत 2070–73 खसरा न0 352, 353, 358, फोटो कॉपी नक्शा शीट, फोटोप्रति ऑनलाइन नक्शा शीट वाके ग्राम नांगल दुर्गसी तहसील सूरौठ पेश की हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खसरा न0 356, 547, 548 जमाबंदी संवत 2070–73 खसरा न0 352, 353, 358, फोटो कॉपी नक्शा शीट, फोटोप्रति ऑनलाइन नक्शा शीट वाके ग्राम नांगल दुर्गसी तहसील सूरौठ है।

उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाव का अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रार्थी ने ग्राम दुर्गसी तहसील सूरौठ की ऑन लाइन नक्शा सीट में आरजीयात खसरा न0 356 के स्थान पर 353 व खसरा न0 353 के स्थान पर 356 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर उपरोक्त खसरा न0 की ऑन लाइन नक्शा सीट में संशोधन हेतु एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से अपने प्रा0 पत्र को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। एवं पैराकार सरकार प्रस्तुत जबाब में भी प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में कोई स्पष्ट अभिशंषा तथा साक्ष्य सबूत पेश करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खाता संख्या 115, 116 वाके ग्राम नांगल दुर्गसी तहसील सूरौठ स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

5/9/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन